UPST010019872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः सुनील कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी0 1885

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–636/2026

प्रिन्सू मिश्रा उम्र लगभग 24 साल पुत्र कृपाशंकर मिश्रा निवासी वैशी का पुरवा, मजरे मझना, थाना बन्धुआकला, जनपद सुलतानपुर

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–40/2026,
धारा–109(1), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता
व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना–बंधुआकला, जनपद–सुलतानपुर।

दिनांक 12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त प्रिंसू मिश्रा की ओर से थाना बंधुआकला, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में किसी अभियुक्त का कोई भी अग्रिम/नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होना नहीं पाया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा आरती सिंह द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 24.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी के भतीजे की कल दिनांक 25.02.2026 को वरीक्षा का कार्यक्रम है। आज उसके घर पर रामायण पाठ बैठा है। घर पर काफी रिश्तेदार आये थे। तभी दोपहर समय 01.44 पर वादिनी के घर पर चार

मोटरसाइकिल से दो–दो लोग आये। वादिनी और उसके परिवार के लोग अपने घर के सामने खड़ी गाड़ी बोलेरो के पास खड़े थे तभी विष्णु प्रभाकर मिश्रा उर्फ अमन मिश्रा, आशीष पाण्डेय, ध्रुव तिवारी, उज्जवल सिंह व तीन अज्ञात लोग आये और गन्दी–गन्दी गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से वादीगण के ऊपर बम मारे, जो वादीगण को न लग कर खड़ी गाड़ी में लग गया। तब मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण विष्णु प्रभाकर मिश्रा उर्फ अमन, आशीष पाण्डेय, ध्रुव तिवारी, उज्जवल सिंह व तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे फर्जी ढंग से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नही है, उसे पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले का कोई हेतुक नही है तथा चार मोटरसाइकिल से दो–दो लोग अर्थात् 8 लोगों का आना कहा जाता है जबकि प्राथमिकी में चार नामजद व तीन अज्ञात मात्र सात लोगों का ही उल्लेख किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जहां तथाकथित बमबारी किया जाना कहा जाता है, वहां पर खड़े किसी व्यक्ति को कोई खरोंच तक नही आयी। घटना गांव की बतायी जाती है, जो घनी आबादी वाला गांव है, परन्तु किसी के द्वारा न तो बाइक सवारों का पीछा किया गया और न ही उन चार गाड़ियों का नम्बर ही बताया गया। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्प्ष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पंजाब में रहकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी बी0ए0 की परीक्षा थी, जिसे देने वह आया था और अपनी चचेरी बहन के तिलक दिनांकित 27.02.2026 के लिये रूका था और दिनांक 25.02.2026 को कपड़ा प्रेस कराने अलीगंज बाजार गया था, जहां रास्ते में उसे आशीष पाण्डेय मिले थे, जिनसे उसकी बात–चीत हुयी थी परन्तु घटना की उसे कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुयी है, पुलिस द्वारा प्रार्थी को खेत में आलू की खुदाई करते समय दिनांक 25.02.2026 को पकड़ कर ले जाकर उसके पास से कट्टे व कारतूस की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। उसने पुलिस को बताया कि वह न तो विष्णु प्रभाकर को जानता है और न ही ध्रुव तिवारी या उज्जवल

सिंह आदि को परन्तु पुलिस द्वारा उसकी नही सुनी गयी। यदि प्रार्थी/अभियुक्त का लोकेशन निकाल लिया जाये तो भी पता चल जायेगा कि वह घटना में संलिप्त नही था और न ही घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है परन्तु दौरान विवेचना उसका नाम घटना कारित करने वाले अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया है और बरवक्त गिरफ्तारी उसके पास से एक अदद कट्टा व कारतूस की बरामदगी भी हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी पक्ष पर बमबारी की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना दि0 24.02.2026 की 13:44 बजे की है, जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 24.02.2026 को 22:07 बजे दर्ज करायी गयी है अर्थात घटना घटित होने के करीब साढ़े आठ घण्टे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट विष्णु प्रभाकर उर्फ अमन, आशीष पाण्डेय, ध्रुव तिवारी, उज्जवल सिंह एवं तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करायी गयी। स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है।

4. केस डायरी के पर्चा नं0–2, जो कि दि0 25.02.2026 को अर्थात् घटना के अगले दिन किता किया गया है, में पहली बार वादिनी श्रीमती आरती सिंह के बयान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का नाम घटना कारित करने वाले लोगों में बताया गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि बम फटने से कोई घायल नहीं हुआ और किसी को भी कोई चोट नहीं आयी।

6. सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त प्रिंसू मिश्रा की ओर से थाना बंधुआकला, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–40/2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 40,000/–रू0 (चालीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, जमानत पर छोड़ दिया जावे :–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 12.03.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code : UP 1885

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR